संख्या- 36 /2022/ 852/सत्रह-म-2022/6-9(03)/2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 08 अगस्त,2022

विषय:- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) की गाइडलाइन्स में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 253/नि0शा0/2022-23, दिनांक 28 जून, 2022, पत्र संख्या-280/नि0शा0/,दिनांक 12 जुलाई, 2022, पत्र संख्या-320/नि0शा0/पी0एम0एम0एस0वाई/ 2022-23, दिनांक 22 जुलाई, 2022 एवं पत्र संख्या-348/नि0शा0/2022-23, दिनांक 01 अगस्त, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश जून, 2020 के क्रम में प्रदेश में प्रश्नगत योजना को लागू किये जाने हेतु मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या 31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर 2020 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के प्रस्तर-3 के उपप्रस्तर-6.14 में प्राविधानित ''प्रथम आगत प्रथम पावत'' व्यवस्था में आ रही कतिपय कठिनाइयों व योजना का व्यापक लाभ दिये जाने के उददेशय से मत्स्य निदेशालय स्तर पर उपनिदेशक मत्स्य नियोजन की अध्यक्षता में गठित पॉच सदस्यीय समिति द्वारा गहन परीक्षणोपरान्त दी गयी संस्तुति/अभिमत के आधार पर उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से कतिपय नवीन मानदण्ड/मानक निर्धारित किये जाने हेतु गाइडलाइन्स में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु शासनादेश संख्या 31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर 2020 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के प्रस्तर-3 के उपप्रस्तर-6.14 में उल्लिखित प्राविधान में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन उपप्रस्तर-6.17 के रूप में निम्नवत है-

बिन्दु	पूर्व में लागू नियम	संशोधित नियम/मानदण्ड
6.14	लाभार्थियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा तथा	अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा तथा आवेदित अभ्यर्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

	'प्रथम आगत प्रथम पावत'' के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।	डी0एल0सी0 के मापदण्ड हेतु नवीन उपप्रस्तर-6.17 निम्नवत जोड़ा जाता है:-
6.17		1. लाभार्थी चयन के समय यदि किसी विकासखण्ड का पूर्व में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत रू0 3.00 लाख से अधिक परियोजना लागत के किसी एक घटक में परियोजना से आच्छादन हो चुका हो तो चयन में अन्य विकास खण्ड के आवेदकों को उस घटक में वरीयता दी जाय, जहां प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा येाजना के अन्तर्गत उक्त घटक में पूर्व में आच्छादन न किया गया हो। 2. प्रौद्योगिकी आधारित बड़ी परियोजनाओं यथा- वृहद आर0ए0एस0 व 50 टैंक बायोफ्लाक परियोजना घटक में मत्स्य क्षेत्र के अनुभवी अर्थात् जिन व्यक्तियों के पास मत्स्य पालन क्षेत्र में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो, को वरीयता दी जाय। 3. पोर्टल पर आवेदन के समय रु0 50.00 लाख या उससे अधिक की परियोजनाओं यथा- वृहद आर0ए0एस0 व 50 टैंक बायोफ्लाक, फीड प्लान्ट, वृहद फीड मिल, मध्यमाकार फीड मिल के लिए प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट (पी0पी0आर0) प्राप्त किया जाय। 4. एक ही परिवार में किसी परियोजना घटक की पुनरावृत्ति न हो। 5. योजनान्तर्गत किसी भी परियोजना में ऐसे आवेदकों, जिनका चयन पूर्व में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की किसी भी परियोजना हेतु अब तक न किया गया हो, को चयन में वरीयता दी जायेगी। 6. योजनान्तर्गत रु0 3.00 लाख तक की परियोजनाओं में अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 राशनकार्ड धारकों को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी। 7. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत रु0 20.00 लाख अथवा इससे अधिक की परियोजनाओं हेतु परियोजना लागत की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि, बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। 8. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत किसी परियोजना घटक में पूर्व में चयनित वे लाभार्थी, जिन्होंने स्वीकृति के उपरान्त परियोजना स्थापित करने से मना कर दिया हो अर्थात बैकआउट हो गये हों, वे उसी परियोजना में पुनः चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		9- प्रश्नगत योजना के अन्य मापदण्डों पर एक से अधिक पात्र लाभार्थी मिलने की दशा में ''प्रथम आगत प्रथम पावत'' के सिद्वान्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- मत्स्य विभाग के पोर्टल पर प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर लाभार्थियों का चयन भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की आपरेश्नल गाइडलाइन्स जून 2020 के प्रस्तर-8(8.1) में प्राविधानित लाभार्थी श्रेणी के अनुसार ही किया जायेगा।

5- अतः केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के प्रदेश में संचालन हेतु शासनादेश संख्या 31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश (गाइड लाइन्स) को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं शेष प्राविधान तथा नियम/शर्ते यथावत रहेंगी।

6- उपरोक्त संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू अथवा प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय,

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 36/ 2022/852(1)/सत्रह-म-2022 तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) सचिव, मत्स्य, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
(8) समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0, लखनऊ।
(9) निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
(10) समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
(11) समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
(12) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(13) वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-1/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com